

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा संख्या
79/2018

रजू दिनांक
03.04.2018
उनवान

पर्चा डिक्री दिनांक
22.01.2021

1. ईश्वरचन्द
2. ललित किशोर
3. वेदप्रकाश पुत्रान मुकुट बिहारी शर्मा
4. बनारसी देवी पत्नी श्री मुकुट बिहारी शर्मा
5. मोहित पुत्र श्री सत्यनारायण
6. प्रदीप पुत्र श्री सत्यनारायण
7. मनीषा पुत्री सत्यनारायण
8. राजबाला पत्नी सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादी

दावा:- अर्न्तगत धारा 88 एवं 89 राज0 काश्त0
अधिनियम

—: पर्चा डिक्री :-

दिनांक :- 22.01.2021

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री पृथ्वीसिंह यादव व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.01.2021 को रामसिंह राजावत उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

अतः वाद वादीगण बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एवं आराजी हाल खसरा नम्बर 2208 रकबा 0.23 है0, 2209 रकबा 0.25 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.48 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया किया जाता है। उक्त खसरा नम्बर में अंकन गैर खातेदार को हजफ कर खातेदार दर्ज किये जाने बाबत

२५६
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0



तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि वादीगण से नियमानुसार खातेदारी फीस राजकोष में जमा करवाये जाने के पश्चात इसी अनुरूप हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 22.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

22.01.21
(रामसिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0